UPUN010009682023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

उपस्थित–अनिल कुमार वर्मा–प्रथम(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–94 / 2023

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

बनाम

श्यामू पुत्र संकठा निवासी सिरसी थाना बीघापुर, जिला उन्नाव।

.....अभियुक्त।

अपराध संख्या–373 / 2020
धारा–308,324,504भा0दं0सं0
थाना–बीघापुर, जिला उन्नाव।

निर्णय

1. अभियुक्त श्यामू के विरूद्ध मु0अ0सं0–373 / 2020, अन्तर्गत धारा–308,324,504 भा0दं0सं0 के तहत थाना बीघापुर, जिला उन्नाव द्वारा आरोप पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–3, उन्नाव के न्यायालय में दाखिल किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय में दिनांक 04.03.2023 को सुपुर्द किये जाने पर सत्र परीक्षण संख्या–94 / 2023 योजित कर विचारण किया गया।

2. प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप मे है कि वादिनी सुषमा देवी पत्नी भीमशंकर निवासी ग्राम सिरसी, वि0ख0–सि0कर्ण जिला उन्नाव की निवासी है। दिनांक 06.12.2020 को रात 02.00बजे वादिनी के पति भीमशंकर अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी श्यामू पुत्र संकठा की गाय उसके खेत मे गेहूँ की फसल चर रही थी, जिसकी जानकारी उसके पति श्यामू को देने गए, जो नशे मे धुत था। शिकायत करने पर वह तथा उसका लड़का पंकज दोनो ने मिल कर उसके पति को मारापीटा, उसने देखा कि पंकज धारदार हथियार से उसके पति पर वार कर रहे थे, उसके पति बेहोश हो गए थे, बेहोशी अवस्था मे भी वे दोनों उसके पति पर लाठियों से वार कर रहे थे, जब वह बचाने गयी तो उसे धक्का दे दिया, घर मे घुसकर भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे। उसके पति जिला अस्पताल उन्नाव में मरणासन्न स्थिति मे भर्ती है। उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार थाना बीघापुर, उन्नाव पर अभियुक्तगण श्यामू व पंकज के विरूद्ध दिनांक 08.12.2020

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.16 10:45:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को 12.50बजे मु0अ0सं0–373 / 2020 धारा–308,324,504भा0दं0सं0 मे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचना की गयी। विवेचक ने धारा–161दं0प्र0सं0 के तहत वादी व गवाहो के बयान लिया तथा नक्शनजरी बनाया। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त श्यामू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–308,324,504भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0–01 दिनांक 08.01.2021 विचारण हेतु विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त को विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया, उसे न्यायालय द्वारा धारा–207दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गई तथा प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

4. सत्र न्यायालय ने विचारण के प्रारम्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियोजन कथानक का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियेाजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करता है। तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.03.20232 को अभियुक्त श्यामू के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–308,324,504भा0दं0सं0 विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्न साक्षियों क्रमशः पी0डब्लू0–1 सुषमा देवी(वादिनी), पी0डब्लू0–2 भीमशंकर(गवाह), पी0डब्लू0–3 डा0गौरव अग्रवाल, पी0डब्लू0–4 इन्द्रपाल उ0नि0(विवेचक) को परीक्षित कराया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1, आघात आख्या भीमशंकर प्रदर्श क–2, नक्शानजरी प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4, फर्द बरमदगी दो अदद डिब्बा प्रदर्श क–5, आरोप पत्र प्रदर्श क–6 प्रस्तुत किये गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7, जी0डी0 प्रदर्श क–8, डाक्टरी पर्चा भीमशंकर प्रदर्श क–9 की सत्यता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी।

6. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 12.05.2026 को लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा पी0डब्लू0–1 द्वारा दिये गये साक्ष्य के संबंध में कहा झूठी एफ0आ. ई0आर0 दर्ज की। पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 द्वारा दिये गये साक्ष्य के संबंध में कहा कुछ नही कहना है। पी0डब्लू0–4 द्वारा दिये गये साक्ष्य के संबंध में कहा कि फर्जी

विवेचना कर झूठा आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया, साथ ही यह भी कथन किया कि वह निर्दोष है उसके चाचा का लड़का जो रात्रि 2–3 बजे उसकी लड़की उम्र 16वर्ष है उसके पलंग के नीचे छुपा था, बोलने पर नही बोला तभी उसने उसे पकड़ा। उसी रंजिश के कारण झूठे मुकदमे मे फसा दिया। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया गया है।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0–1 सुषमा देवी(वदिनी) ने शपथपवूर्क कथन किया कि–घटना दिनांक 06.12.2020की रात उसके पति भीमशंकर रात लगभग 02.00 बजे खेत देखने गए थे, श्यामू की गाय खेत मे थी। उसे इस बात की जानकारी नही है कि उसके पति श्यामू की गाय को खेत से श्यामू के घर लाये या नही। उसने अपने पति को अपने दरवाजे चिल्लाते सुना था, जब वह घर के बाहर आयी तो उसके पति के सिर पर चोट लगी थी। सिर फट गया था और खून निकल रहा था, उसके पति बेहोश थे। वह अपने पति को जिला अस्पताल, उन्नाव लेकर गयी, जहां उनका इलाज हुआ था। घटना के अगले दिन उसक पति हो होश आया था। उसने अपने पति को किसी के द्वारा मारते नही देखा था। उसने श्यामू व पंकज के विरूद्ध भीम को मारने पीटने का मुकदमा तहरीर देकर थाने मे लिखाया था। साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0–2 भीमशंकर(चोटहिल गवाह) ने शपथपवूर्क कथन किया कि–घटना दिनांक 06.12.2020 रात लगभग 02.00बजे की है। वह अपने खेत की रखवाली कर रहा था। खेत पर ही दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके ऊपर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर मे चोट आ गयी थी। घर वाले उसे जिला अस्पताल लेकर गये थे, इलाज के दोरान उसको होश आया था। दिनांक 09.12.2020 को हैलट अस्पताल लेकर कानपुर गये थे, जहां उपचार के बाद घरवालो ने उसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया था। घटना की रिपोर्ट उसकी पत्नी सुषमा ने दर्ज करायी थी।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0–3 गौरव अग्रवाल ने शपथपवूर्क कथन किया कि–दिनांक 07.12.2020 को वह जिला अस्पताल उन्नाव में तैनात था। उस दिन उसने भीमशंकर की चोटों का परीक्षण 03.30पर किया था। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी–

चोट नं0–1 कटा हुआ घाव 4cm x .25cm, 5cm x .5cm, 6cm x .25cm सिर के ऊपरी हिस्से मे मौजूद था, ताजे खून का थक्का जमा हुआ उसके किनारे समतल थे। एक्स–रे के लिये संदर्भित किया गया था।

चोट नं0–2 लाल नीलगू निशान बाये कंधे 18cm x 10cm का मौजूद था।

चोट नं0–3 दाहिने कंधे पर लाल नीलगू निशान 24cm x 10cm मौजूद था।

चोट नं0–4 लाल नीलगू निशान पीठ के ऊपरी हिस्से मे बांयी तरफ 10cm x 6cm मौजूद था।

चोट नं0–5 लाल नीलगू निशान पीठ पर बांयी ओर निचले हिस्से पर 8cm x 2cm व 4cm x 2cm का मौजूद था।

चोट नं0–6 पेट के बांयी तरफ 8cm x 4cm का नीलगू निशान मौजूद था।

चोट नं0–7 सीने मे दाहिनी तरफ 6cm x 3cm, 4cm x 1cmका नीलगू निशान मौजूद था।

चोट नं0–8 बांये पैर के पंजे पर 6cm x 8cmलाल नीलगू निशान मौजूद था।

चोट नं0–9 बांयी जांघ के बाहर तरफ 8cm x 4cm, 4cm x 3cm का नीलगू निशान मौजूद था।

चोट नं0–10 बांये घुटने मे 2cm x 3cm, 3cm x 4cm का खरोंच का निशान, ताजे खून का थक्का लगा हुआ था।

चोट नं0–11 बांये अग्रबाहू के 8cm x 2cm, 6cm x 3cm का नीलगू निशान मौजूद था। एक्स–रे की सलाह इस चोट के लिये दी गयी।

चोट नं0–12 दाहिने अग्रबाहू 10cm x 4cm का नीलगू निशान मौजूद था।

चोट नं0–1 किसी धारदार हथियार से आना संभव था। चोट नं0–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 किसी ठोस कुंदालय से आना संभव था। चोट नं0–10 किसी ठोस सतह पर रगड़ने से आना संभव था। चोट नं0 1 व 10 आधे से एक दिन पुरानी थी, शेष चोटे ताजी से एक दिन पूर्व की होना संभव थी। साक्षी ने चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–2 अपने लेख व हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है। चोटहिल की चोटे दिनांक 06.12.2020 की रात लगभग दो बजे लाठी डण्डे व धारदार हथियार(कुल्हाड़ी) से मारने से आना संभव है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0–4 उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह ने शपथपवूर्क कथन किया कि–दिनांक 08.12.2020 को वह चौकी इंचार्ज नेवई में तैनात था। उस दिन उसे मु0अ0सं0–373 / 2020 धारा–308,324,504भा0दं0सं0 की विवेचना प्राप्त हुयी। वादिनी का बयान अंकित किया। वादिनी की निशनदेही पर घटनास्थल का नक्शानजरी प्रदर्श क–3 व चोटहिल जहां भाग कर आया वहां का नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 अपने

लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया। घटना स्थल से खूनालूदा सीमेन्टेडईट, पत्तियां व सादी मिट्टी बरामद कर एक कपड़े मे सील सर्वमुहर कर नमूना मौके पर तैयार किया, जिसकी फर्द प्रदर्श क–5 अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार की। अन्य साक्षीगण के साक्ष्य व मेडिकल पर्चो का अवलोकन कर केस डायरी मे अंकित किया तथा अभियुक्त श्यामू के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त आरोप पत्र प्रदर्श क–6 न्यायालय प्रेषित किया। किशोर अपचारी पंकज की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड प्रेषित की गयी।

12. अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसने दिनांक 06.12.2020 समय 02.00बजे वादिनी के घर के दरवाजे पर वादिनी के पति भीमशंकर को गालियां देते हुए धारदार हथियार से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुॅचाई।

13. बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में यह कथन किया गयाकि अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक साबित नही होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाए।

14. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथ्य के साक्षीगण ने अभियोजन कथान का समर्थन किया है, और अभियोजन कथानक सिद्ध है। पी0डब्लू0–3 डा0 गौरव अग्रवाल, पी0डब्लू0–4 उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह द्वारा अभियोजन प्रपत्रो को साबित किया है, उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित होता है। अतः उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

15. उक्त तर्क के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को साबित करने के लिये पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा मे अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है, उसने कथन किया कि उसने अपने पति को अपने दरवाजे पर चिल्लाते सुना था, तब वह घर के बाहर आयी, उसके पति के सिर पर चोट लगयी थी, खून निकल रहा था, पति बेहोश थे। उसने अपने पति को किसी के द्वारा मारते पीटते नही देखा था। अभियोजन की याचना पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि पति की आवाज सुनकर जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि श्यामू और पंकज उसके पति को मार रहे हो। जिन गांव वालो ने श्यामू और पंकज के नाम बताये थे उनका नाम नही जानती। यह कहना गलत है कि पंकज व श्यामू ने पति को बचाने

के दौरान उसे धक्का दे दिया हो और भद्दी भद्दी गालियां दी हो, श्याम व पंकज उसके पारिवारिक है इसलिए उन्हे बचाने के लिये आज सही बात नही बता रही हूॅ। भीम ने होश मे आने पर उसे मारने वालो के नाम नही बताये थे। दरोगाजी ने उसका बयान नही लिया था। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि उसके केवल तहरीर पर दस्तखत कराये थो, पढ़कर नही सुनाया था। उसके पति भीम को किसने चोट पहुॅचायी, उसने नही देखा था। पी0डब्लू–2 जो चोटहिल साक्षी है ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि यह कहना गलत है कि खेत की रखवाली के समय श्यामू की गाय उसके खेत मे आ गयी थी, जिसे लेकर श्यामू के घर गया और कहा अपनी गाय बांध लो, इसी बात से नाराज होकर श्यामू ने उसे लाठी डण्डो से मारना पीटना शुरू कर दिया, श्यामू के लड़के पकंज ने उसे कुल्हाड़ी से मारा. पीटा, जिससे उसके सिर व शरीर मे चोटे आयी और वह बेहोश हो गया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिम के भय व दबाव के कारण या अनुचित लाभ लेकर उन्हे बचाने के लिये आज सही बात नही बता रहा हूॅ। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि उसकी श्याम व उसके लड़के से कभी गाली गलौज व मारपीट नही हुयी। गांव मे पार्टीबन्दी के कारण उसकी पत्नी को कुछ लोग थाने ले गए और श्यामू व पंकज के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवा दी। श्यामू व पंकज ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट नही की। दरोगाजी ने उससे कोई पूछतांछ नही की थी। पी0डब्लू0–3 ने साक्ष्य दिया कि चोट नं0 1 व 10 तथा चोट नं0–2 लगायत 9 व 11,12 अलग अलग समय पर कारित की गयी होगी। जिस समय चोटहिल उसके पास आया उस समय उसकी सामान्य स्थिति कैसी थी नही बता सकता। चोटहिल की चोटे किस समय पहुॅचायी गयी, निश्चित समय नही बता सकता। पी0डब्लू0–4 द्वारा प्रतिपरीक्षा मे कथन किया गया कि घटना के तीन दिन बाद वादिनी व 20दिन बाद भीमशंकर का बयान लिया था। डा0 गौरव अग्रवाल जिनके द्वारा चोटहिल की डाक्टरी की गयी, उनसे चोटो की प्रकृति के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि सभी चोटें साधारण है। यह कहना गलत है कि न उसने वादिनी और गवाहन से पूछताछ की और न घटनास्थल पर गया और झूठी विवेचना कर झूठा आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।

16. इस तरह अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया उसने

अपने पति को किसी के द्वारा मारते नही देखा था। उसके पति भीम को किसने चोट पहुॅचायी थी उसने नही देखा था। उसने केवल तहरीर पर दस्तखत बनाये थे, पढ़कर उसे नही सुनाया था। पी0डब्लू0–2 ने मुख्य परीक्षा में कहा कि उसके ऊपर दो अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी से हमला कर दिया था। प्रतिपरीक्षा में कहा कि पंकज व श्यामू ने उसके साथ मारपीट व गाली गलौज नही की थी। पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–4 औपचारिक साक्षीगण है उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नही किया जा सकता। तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य में भी ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो। यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रो की प्रमाणिकता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है, परन्तु उसमे लिखे तथ्यों से इंकार किया गया है। अभियोजन प्रपत्रो के निष्पादन को स्वीकार करक लेने मात्र से यह नही माना जा सकता कि बचाव पक्ष ने आरोपित अपराध की संस्वीकृति की हो।

17. महेन्द्र सिंह आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)7 एस0सी0सी0 157 एवं लालू मांजी बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 854 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–साक्षियों की तीन श्रेणियां होती है। पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय तथा अंशतः विश्वसनीय व अंशतः अविश्वसनीय होती है। उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति(पी0डब्लू0–2) भीमशंकर को मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुॅचाये जाने का तथ्य साबित नही होता है। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 का साक्ष्य अभियुक्त के संबंध में पूर्णतः अविश्वसनीय की श्रेणी मे होने के कारण उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दाषसिद्ध नही किया जा सकता है।

18. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त श्यामू के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–308,504,324भा0दं0स0ं के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने मे असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त श्यामू को धारा–308,324,504भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप हेतु दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त श्यामू को सत्र परीक्षण संख्या–94/2023, मु0अ0सं0–373/2020 धारा–308,324,504भा0दं0सं0, थाना बीघापुर, जिला उन्नाव के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। श्यामू जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं, एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2. श्यामू द्वारा धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0–30,000 / –का निजी बंधपत्र समान धनराशि की एक प्रतिभू अंदर सप्ताह प्रस्तुत की जाये, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेगी। यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांक–12.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–12.06.2026
राकेश / –

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।